बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

वेतन विपत्रों में भविष्य निधि संख्या की प्रविष्टि के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ सरकारी कर्मी के लिए आवश्यक सूचना ।

कोषागारों के आँकड़ों की कम्प्यूटरीकृत समीक्षा से स्पष्ट होता है कि अनेक सरकारी कर्मी ऐसे हैं जिनके वेतन की निकासी लंबी अवधि तक Temporary GPF No. के साथ अथवा एक से अधिक GPF No. के साथ हुई है । समीक्षा से स्पष्ट हुआ है कि ऐसा न केवल एक से अधिक GPF No. लिए जाने के कारण हो रहा है बल्कि कम्प्यूटर में GPF No. की प्रविष्टि करते समय एकरूपता (Proper Format) नहीं बरतने के कारण भी हो रहा है । इस व्यवस्था का दुरूपयोग कर अवैध निकासी का मामला भी प्रकाश में आया है । इस पृष्ठ भूमि में यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवक के नाम और GPF/PRAN No. को एक Unique Identity के रूप में लागू किया जाय । इस निर्णय के अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः-

1. किसी भी सरकारी कर्मी का वेतन Temporary GPF No./ CPF No. के आधार पर पारित नही किया जायेगा, संबंधित कर्मी का GPF/PRAN No. अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । वैसे सभी सरकारी सेवक जिन्हें GPF/PRAN No. नही मिला है, वे तत्काल संबंधित भविष्य निधि/कोषागार कार्यालय से संपर्क करें । संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी सक्रिय पहल करें और अधीनस्थ वैसे कर्मियों का स्थायी GPF/PRAN No. प्राप्त करें ।
2. ऐसे कर्मियों की सूची जिनके विरूद्ध एक से अधिक GPF No. का उपयोग हो रहा है, संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है । संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी तत्संबंधी सूचना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर दे देंगे । संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सही GPF No. की जानकारी प्राप्त कर संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगे तथा सही GPF No. के ही आधार पर ही संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी करेंगे । संबंधित सरकारी कर्मी की भी यह जिम्मेवारी होगी कि यदि उनके नाम से एक से अधिक GPF No. है, तो सही GPF No. की जानकारी अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दें । जिन सरकारी सेवकों का एक ही GPF No. पाया गया है, उसे उसी रूप में Freeze किया जा रहा है । Freeze किये जाने का अर्थ यह होगा कि जिस तरह से उक्त नं0 की प्रविष्टि कम्प्यूटर में की गयी है, उससे भिन्न स्वरूप में प्रविष्टि कम्प्यूटर में स्वीकार्य नहीं होगी । उदाहरण के लिए यदि किसी सरकारी सेवक का जी0पी0एफ0 नं0 BHR/BAS-114 है तो उसे BHR/BAS/114 लिखने पर सिस्टम को स्वीकार्य नहीं होगा । अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि उसी स्वरूप में GPF/PRAN No. की प्रविष्टि हरेक माह की जाय । इसके लिए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा सी0डी0 में वेतन विपत्र के साथ संलग्न विवरणी को SAVE करके रखना उपयोगी होगा ।
3. उपर अंकित निदेश माह जनवरी 2011 के वेतन निकासी के समय से लागू होगा । CTMIS के Pay Bill Module में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उपर अंकित निदेश का अक्षरशः पालन नहीं करने की स्थिति में माह जनवरी 2011 के प्रभाव से संबंधित वेतन विपत्र पारित नही हो सकेगा ।
4. सभी जिला पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि अविलम्ब अपने जिले की वर्त्तमान स्थिति की समीक्षा करके आवश्यक सभी कार्रवाई एक माह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे ।

25/11/2010

(रामेश्वर सिंह)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।